न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 19/2021

वादीगण

1. झमुदेवी पत्नि ताराजी
2. छगना पुत्र ताराजी
3. लसा पुत्र ताराजी
4. पंखु पुत्री ताराजी
5. वना पुत्र ताराजी
6. संतोक पुत्री ताराजी
7. कालीदेवी पत्नि रतनाराम
8. खुमाराम पुत्र रतनाराम
9. जयन्ति पुत्र रतनाराम
10. दलपत पुत्र रतनाराम

जातियान ब्राहमण निवासीयान रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर

प्रतिवादीगण

1. केवला पुत्र मोटा
2. नरसा पुत्र मोटा
3. बादरा पुत्र मोटा
4. मफा पुत्र मोटा
5. केऊदेवी पत्नि केवला

जातियान ब्राहमण निवासीयान रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर

6 भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

7 शाखा प्रबंन्धक बैक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा

न्यायालय सहायक कलक्टर रानीवाडा जि.

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई

–: निर्णय :–

दिनांक 25.08.2021

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5की सामलाती खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1970 रकबा 1.77 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज है। वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 के पिता व वादी संख्या 8, 9 व 10 के दादा ताराजी ने उक्त आराजी खसरा नबंर 1970 रकबा 1.77 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर को बएवज मोल जरिये बैचान दस्तावेज खातेदारी हक के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। उक्त बैचान दस्तावेज में बैचानकर्ता केउदेवी है जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 5 है। उक्त केउदेवी से जब उक्त आराजी को खरीद किया तब उक्त आराजी का प्रयोजनार्थ रास्ता के रूप में उपयोग व उपभोग करना था तथा केउदेवी ने उक्त आराजी को रास्ते के लिए वादीगण के पूर्वज ताराजी को बैचान की थी। वादीगण के पूर्वज ताराजी ने खरीद करने के बाद उक्त खरीद सुदा आराजी का उपयोग व उपभोग भी रास्ते के लिए ही किया है। वादग्रस्त आराजी खसरा नबंर 1970 के लगतो लागत वादीगण की सामलाती [illegible] आराजी खसरा नबंर 1974 रकबा 3.37 हैक्टर की आई हुई है। वा[illegible] नबंर 1970 के उत्तर की तरफ खसरा नबंर 1690 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 15:08:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला–जालोर

Scanned by TapScanner

रास्ता आया हुआ है तथा खसरा नबंर 1970 के दक्षिण दिशा में खसरा नबंर 1974 की वादीगण की खातेदारी आराजी आई होने से वादीगण के पुर्वज ताराजी को रास्ते तक आवागमन करने हेतु खसरा नबंर 1970 में रास्ते की आवश्यकता पडने से तत्कालीन खातेदार केउदेवी से वादीगण के पूर्वज ताराजी ने 0.08 हैक्टर की आराजी को रास्ते के लिये खरीद कर ली थी तथा मौके पर रास्ता के लिये उक्त खरीद सुदा आराजी का उपयोग उपभोग किया जाने लगा। वादपत्र के साथ नजरी नक्शा परिशिष्ट अ पेश किया जा रहा है। उक्त नजरी नक्शा परिशिष्ट अ में मार्क ए से बी स्थान पर वादीगण द्वारा रास्ता का उपयोग खसरा नबंर 1970 की आराजी में से किया जा रहा है। वादीगण द्वारा मार्क ए से बी की जगह का उपयोग किये जाने की स्थिति में वादीगण की पहुच अपने खेत में रास्ता तक सुलभ हो जाती है। वादीगण के पूर्वज ने रास्ते की आराजी को खरीद कर लिया तथा मौके पर भी रास्ता पर अलग से कब्जा कर रास्ते के लगतो लागत छीणे खडी कर छीणो के तार लगाकर तारबंदी कर दी है, मगर राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पूर्वज द्वारा खरीद की गई आराजी को अलग से तरमीम नहीं किया गया है। इसलिये वादीगण के पूर्वज ताराजी द्वारा खरीद की गई आराजी जो रास्ता के रूप में उपयोग व उपभोग में आ रही है, को मौका अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा कर तरमीम किये जाने हेतु यह बंटवाडा का दावा पेश किया जा रहा है।

2. उक्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है। उक्त आराजी में वादी संख्या 1 का 8/1239 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 8/1239 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 8/1239 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 8/1239 हिस्सा, वादी संख्या 5 का 8/1239 हिस्सा, वादी संख्या 6 का 8/1239 हिस्सा, वादी संख्या 7 का 2/1239 हिस्सा, वादी संख्या 8 का 2/1239 हिस्सा, वादी संख्या 9 का 2/1239 हिस्सा, वादी संख्या 10 का 2/1239 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 113/708 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 का 8/177 हिस्सा खातेदारी का राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

3. विनायवादी सर्वप्रथम उस समय पैदा हुआ जब एक माह पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को उक्त विवादीत आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने व रास्ते को तरमीम करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 टालमटोल करने लगे। तत्पश्चात उस समय पैदा हुआ जब आज से 10 दिन पूर्व दिनांक 21.01.2021 को पुनः वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को उक्त विवादित आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने व रास्ता को नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी स्थान तक तरमीम करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने व रास्ता तरमीम करवाने से मना कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि हम आपसी सहमति से बंटवाडा नहीं करवायेगे तथा न ही रास्ता तरमीम करवायेगे, तुमनें ज्यादा किया तो हम रास्ते को बंद कर देगें तथा तुम्हें तुम्हारे कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी के रास्ते से लाठी के बल पर बेदखल कर देगें तुम्हारे हो सो कर लेना। तत्पश्चात वाद कारण निरन्तर जारी है।

4. इस्तदुआ वादीगण है कि सरहद मौजा खसरा नबंर 1970 रकबा 1.77 हैक्टर किस्म बारानी दायम का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बाई मिटस् एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कर व वाद पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में मार्क ए से बी स्थान पर आराजी तरमीम करते हुए बंटवाडा किया जाकर उक्त आराजी में से वादी संख्या 1 से 10 को शामलाती रूप से 0.08 आराजी का बंट अलग कर दिया जावें तथा प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 15:08:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

Scanned by TapScanner

संख्या 1 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 को 113/708 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 को 8/177 हिस्सा अलग बंट में दिया जावें तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार रानीवाडा पर तहरीर जारी फरमावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावे कि बाद बंटवाडा के वादीगण के बंट की आराजी रास्ता में उनके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग व रास्ते के उपयोग उपभोग में न तो प्रतिवादी स्वयं कोई दखल करे तथा न ही किसी अन्य से कोई दखल करावें।

5. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 7 की ओर से बाद तामील सम्मन अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। व प्रतिवादी संख्या 6 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित।

6. दिनांक 04.08.2021 को न्यायालय द्वारा वादीगण अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा रानीवाडा कलां के खसरा नम्बर 1970 रकबा 1.77 हेक्टेयर आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के बीच रास्ते की सुविधा अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिकी के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2021/608 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिकी की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2021/732 दिनांक 24.08.2021 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

7. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादीगण अधिवक्ताओ को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं वादीगण अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिकी अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	छगनाराम पुत्र तारा 1/7 हिस्सा, वनाराम पुत्र तारा 1/7 हिस्सा, लसाराम पुत्र तारा 1/7 हिस्सा, सन्तोक पुत्री तारा 1/7 हिस्सा, पंखु पुत्री तारा 1/7, झमू [illegible] 1/7 हिस्सा, दलपत पुत्र रत[illegible] 1/28, जयन्ति[illegible] रतना [illegible] 28	1970	1.77	0.08	बारानी दोयम	लाल	नियमानुसार

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 15:08:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

	हिस्सा, खुमा पुत्र रतना 1/28, काली पत्नि रतना 1/28 हिस्सा कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार						
2.	केऊदेवी पत्नि केवला 8/169 हिस्सा, केवला पुत्र मोटा 177/676 हिस्सा, रहन BOI बैक रानीवाडा, नरसा पुत्र मोटा 177/676 हिस्सा, बादरा पुत्र मोटा 177/676 हिस्सा, मफा पुत्र मोटा 113/676 हिस्सा, कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार	1970	1.77	1.69	बारानी	गुलाबी	

8. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 15:08:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. झमुदेवी पत्नि ताराजी 2. छगना पुत्र ताराजी 3. लसा पुत्र ताराजी 4. पंखु पुत्री ताराजी 5. वना पुत्र ताराजी 6. संतोक पुत्री ताराजी 7. कालीदेवी पत्नि रतनाराम 8. खुमाराम पुत्र रतनाराम 9. जयन्ति पुत्र रतनाराम 10. दलपत पुत्र रतनाराम जातियान ब्राहमण निवासीयान रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर	बनाम	1. केवला पुत्र मोटा 2. नरसा पुत्र मोटा 3. बादरा पुत्र मोटा 4. मफा पुत्र मोटा 5. केउदेवी पत्नि केवला जातियान ब्राहमण निवासीयान रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर 6 भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 7 शाखा प्रबंधक बैक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 19/2021

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई उपस्थित, प्रतिवादी सं0 1 से 5 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	छगनाराम पुत्र तारा 1/7 हिस्सा, वनाराम पुत्र तारा 1/7 हिस्सा, लसाराम पुत्र तारा 1/7 हिस्सा, सन्तोक पुत्री तारा 1/7 हिस्सा, पंखु पुत्री तारा 1/7, झमू पत्नि तारा 1/[illegible] हिस्सा, [illegible] पुत्र रतना 1/28 जया[illegible] पु[illegible] रतना 1/28 [illegible] खुमा[illegible] रतना	1970	1.77	0.08	बारानी दोयम	लाल	नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 16:08:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा जिला-जालोर

Scanned by TapScanner

	1/28, काली पत्नि रतना 1/28 हिस्सा कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार						
2.	केऊदेवी पत्नि केवला 8/169 हिस्सा, केवला पुत्र मोटा 177/676 हिस्सा, रहन BOI बैक रानीवाडा, नरसा पुत्र मोटा 177/676 हिस्सा, बादरा पुत्र मोटा 177/676 हिस्सा, मफा पुत्र मोटा 113/676 हिस्सा, कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार	1970	1.77	1.69	बारानी	गुलाबी	

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीयो नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 25.08.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	0	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 15:08:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner